

प्रारंभिक परीक्षा

स्नेह-विच्छेदन का अपकृत्य (Tort of Alienation of Affection)

संदर्भ

शेली महाजन बनाम भानुश्री बहल मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय, स्नेह-विच्छेदन को संभावित सिविल अपकृत्य के रूप में मान्यता देकर भारत में कानूनी विकास का प्रतीक है।

स्नेह-विच्छेदन(AOA) क्या है?

- AoA एक सामान्य कानून के अंतर्गत आने वाला “हार्ट-बाम” (heart-balm) अपकृत्य है, जो किसी पति या पत्नी को उस तीसरे व्यक्ति (आमतौर पर प्रेमी/प्रेमिका) के विरुद्ध मुकदमा करने की अनुमति देता है, जिसने जानबूझकर और अनुचित रूप से उनके वैवाहिक संबंध में हस्तक्षेप किया हो, जिसके परिणामस्वरूप स्नेह, सहचर्य (companionship) या वैवाहिक संघ (consortium) की हानि हुई हो।
- भारत में कानूनी आधार:
 - भारतीय कानून में संहिताबद्ध या विशेष रूप से निषिद्ध नहीं है।
 - हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) केवल पति-पत्नी के बीच वैवाहिक उपचारों को नियंत्रित करता है, इसमें किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है।
 - हालाँकि, पिनाकिन महिपतराय रावल बनाम गुजरात राज्य (2013) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि "किसी अजनबी द्वारा स्नेह-विच्छेदन, यदि सिद्ध हो जाता है, तो एक जानबूझकर किया गया अपकृत्य है।"
 - इंद्रा शर्मा बनाम वी.के.वी. शर्मा मामले में, न्यायालय ने यहां तक कहा कि यदि कोई तीसरा पक्ष माता-पिता के स्नेह को छीन लेता है तो बच्चों के पास कार्रवाई का कारण हो सकता है।

U.S. Courts' View on Alienation of Affection

Origin

- Originated in 19th-century Anglo-American law as a 'heart-balm' tort allowing wronged spouses to seek damages for loss of affection due to a third party's interference.

Current Status

- Most U.S. states have abolished AoA suits, viewing them as outdated, prone to misuse, or incompatible with modern notions of marital privacy and autonomy.
- However, a few states still retain the tort – notably Hawaii, Mississippi, New Mexico, North Carolina, South Dakota, and Utah

Elements of Proof (in states where AoA exists)

- 1 Existence of genuine love and affection in the marriage
- 2 Loss of that affection due to interference
- 3 Malicious or intentional conduct by the third party causing that loss

जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) -

- इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा-497 को चुनौती दी गई थी, जो व्यभिचार(Adultery) को अपराध मानती थी, केवल पुरुषों को दंडित करती थी और महिलाओं को इससे छूट देती थी, जो महिलाओं को संपत्ति के रूप में देखने के पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती थी।
- सर्वोच्च न्यायालय का फैसला: मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने धारा-497 को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया।
 - व्यभिचार कोई अपराध नहीं है, क्योंकि यह अनुच्छेद-21 के तहत निजता और स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
 - विवाह का अर्थ महिलाओं की यौन पसंद का दमन नहीं है।
 - हालाँकि, व्यभिचार एक नागरिक अपराध है और वैवाहिक कानूनों के तहत तलाक का एक वैध आधार है।

दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला -

- न्यायालय ने ऐसे मुकदमे की स्वीकार्यता पर आपत्तियों को खारिज कर दिया और सम्मन जारी किया, जिसमें कहा गया कि पति-पत्नी तीसरे पक्ष से नागरिक क्षति का दावा कर सकते हैं, जो दुर्भावनापूर्ण रूप से विवाह में हस्तक्षेप करते हैं और इसके टूटने का कारण बनते हैं।
- उच्च न्यायालय ने कहा कि सिविल न्यायालय AOA मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, क्योंकि पारिवारिक न्यायालयों के पास केवल पति-पत्नी के बीच विवादों (तलाक, हिरासत, भरण-पोषण, आदि) पर ही अधिकार है।
- AOA, तीसरे पक्ष के खिलाफ एक अपकृत्य दावा होने के नाते, सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- दावे के लिए शर्तें (तीन गुना परीक्षण):
 - विवाह को बाधित करने के उद्देश्य से तीसरे पक्ष द्वारा जानबूझकर और गलत आचरण।
 - कारण: तीसरे पक्ष के आचरण और वैवाहिक संबंध टूटने के बीच एक स्पष्ट संबंध।
 - मापनीय हानि: पीड़ित पति या पत्नी को पहचानने योग्य क्षति साबित करनी होगी, जैसे मानसिक कष्ट, अपमान, या साथी की हानि।

स्रोत: [द हिंदू](#)



2025 के नोबेल पुरस्कार

संदर्भ

मैरी ई. ब्रुनको, फ्रेड रामस्टेल और शिमोन साकागुची को मानव प्रतिरक्षा प्रणाली पर उनके कार्य के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

समाचार के बारे में और अधिक जानकारी -

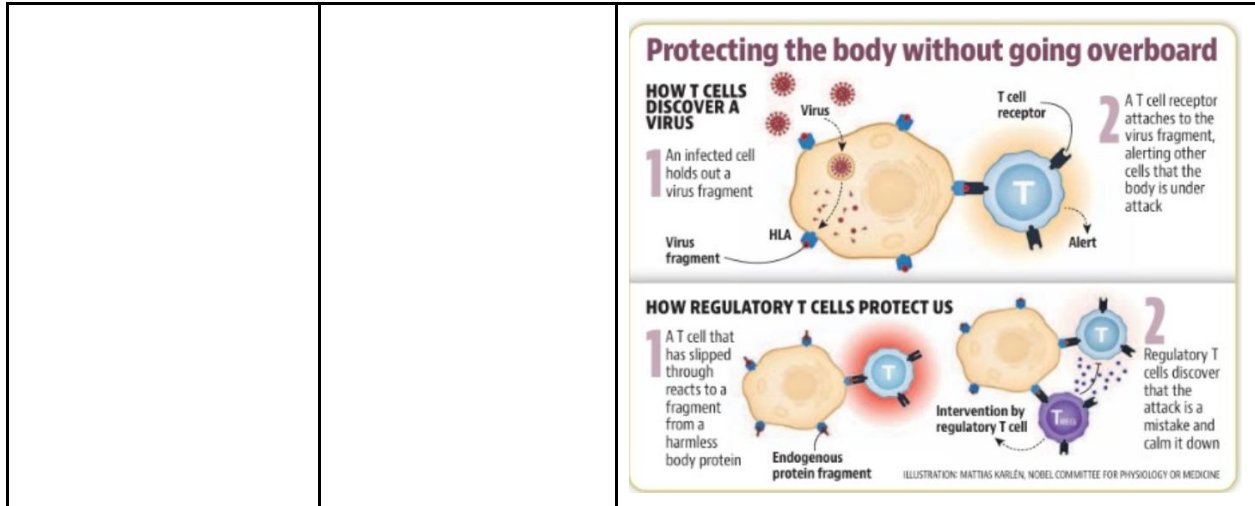
- इसके अलावा, तीन अमेरिकी वैज्ञानिकों - जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस - को मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और इलेक्ट्रिक सर्किट में ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है।

नोबेल पुरस्कार के बारे में -

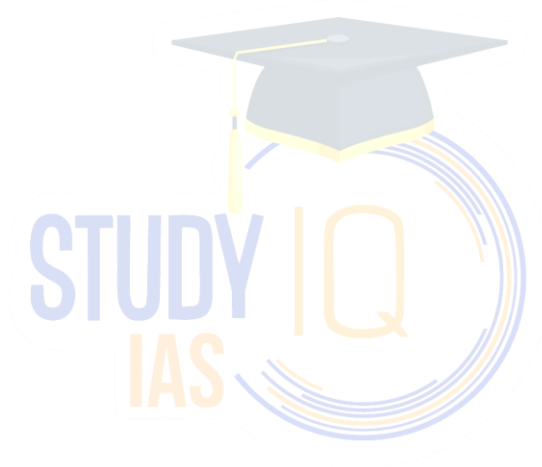
- अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार 1901 में स्थापित नोबेल पुरस्कार, विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में उत्कृष्टता को सम्मानित करते हैं, बाद में अर्थशास्त्र को भी इसमें शामिल किया गया।
- भौतिकी - नोबेल की वसीयत में सूचीबद्ध पहली श्रेणी - सबसे प्रतिष्ठित में से एक बनी हुई है।

मानव प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित खोज क्या है?

खोज	वैज्ञानिक	महत्व
नियामक टी कोशिकाओं (Tregs) का अस्तित्व	शिमोन सकागुची	- ये कोशिकाएं, जिन्हें बाद में नियामक टी कोशिकाएं (Tregs) कहा जाता है, अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को नियंत्रण में रखकर स्वप्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को रोकती हैं। - इन "शांति रक्षक" कोशिकाओं के बिना, प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से स्वस्थ ऊतकों पर हमला कर सकती है, जिससे स्वप्रतिरक्षी रोग हो सकते हैं।
FOXP3 जीन	मैरी ब्रुनको और फ्रेड रामस्टेल	- उन्होंने इसका कारण FOXP3 जीन में उत्परिवर्तन को बताया, जो IPEX (इम्यून डिसरेग्यूलेशन, पॉलीएंडोक्रिनोपैथी, एंटरोपैथी, एक्स-लिंकड सिंड्रोम) नामक एक दुर्लभ मानव स्वप्रतिरक्षी रोग के लिए भी जिम्मेदार था। - उन्होंने पाया कि FOXP3 वह मास्टर जीन है जो नियामक टी कोशिकाओं के विकास और कार्य को नियंत्रित करता है।
दोनों निष्कर्षों का एकीकरण	तीनों संयुक्त रूप से	यह स्थापित किया गया कि प्रतिरक्षा प्रणाली किस प्रकार संतुलन बनाए रखती है - आक्रमणकारियों पर हमला करती है, लेकिन स्व-कोशिकाओं को सहन करती है।



स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)



स्टार्ट संधि (START Treaty)

संदर्भ

रूस ने नई स्टार्ट संधि के तहत तैनात सामरिक परमाणु हथियारों की सीमा को स्वेच्छा से बनाए रखने की पेशकश की है।

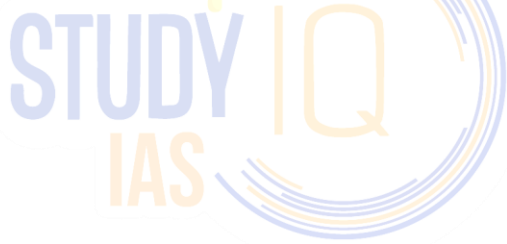
स्टार्ट संधि क्या है?

- नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि (न्यू स्टार्ट) पर 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने प्राग में हस्ताक्षर किए थे और यह 2011 में लागू हुई थी।
- यह संधि दोनों देशों को अधिकतम 1,550 तैनात सामरिक परमाणु हथियारों और 700 तैनात लांचरों (मिसाइल, बमवर्षक, पनडुब्बी) तक सीमित करती है।
- इसमें अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन और निरीक्षण तंत्र भी शामिल हैं।
- इस संधि को 2021 में पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिससे यह 5 फरवरी, 2026 तक वैध हो गई।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

- फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स के अनुसार, अमेरिका और रूस के पास संयुक्त रूप से विश्व के लगभग 87% परमाणु हथियार हैं - लगभग 5,177 (अमेरिका) और 5,459 (रूस)।
- शीत युद्ध के दौरान जैसी परमाणु हथियारों की होड़ को रोकने और वैश्विक रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए स्टार्ट संधि जैसी हथियार नियंत्रण संधियाँ महत्वपूर्ण हैं।
- यदि यह संधि न हो, तो दोनों देश असीमित रूप से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर सकते हैं, जिससे वैश्विक तनाव में वृद्धि हो सकती है।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)



नक्शा कार्यक्रम

संदर्भ

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी(LBSNAA) ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग (DoLR) के सहयोग से नक्शा कार्यक्रम पर दो दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला का उद्घाटन किया।

नक्शा कार्यक्रम क्या है?

- यह एक वर्ष की पायलट पहल है।
- इसका उद्देश्य उन्नत भू-स्थानिक मानचित्रण, जीएनएसएस (ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम) और वेब-जीआईएस उपकरणों के उपयोग के माध्यम से शहरी भूमि प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच लाना है।
- इस कार्यक्रम का लक्ष्य शहरी भूमि के प्रत्येक टुकड़े का डिजिटल मानचित्रण और प्रमाणीकरण करना, भूमि स्वामित्व में अस्पष्टता को दूर करना, संपत्ति कराधान को सुव्यवस्थित करना और शहरी नियोजन एवं शासन की नींव को मजबूत करना है - जिससे भारत "एक राष्ट्र, एक भूमि रिकॉर्ड" के दृष्टिकोण के करीब पहुंच सके।

स्रोत: [पीआईबी](#)



मार डेल प्लाटा घाटी(Mar Del Plata Canyon)

संदर्भ

मार डेल प्लाटा घाटी में अपनी तरह के पहले गहरे समुद्र अन्वेषण में 40 से अधिक संभावित नई समुद्री प्रजातियों का पता चला है।

मार डेल प्लाटा घाटी क्या है?

- मार डेल प्लाटा घाटी, दक्षिण अटलांटिक महासागर में अर्जेंटीना के उत्तरपूर्वी तट से लगभग 190 मील (लगभग 305 किमी) दूर स्थित एक गहरी पानी के नीचे की घाटी है।
- इसकी गहराई लगभग 3,500 मीटर (लगभग 11,500 फीट) है - जो ग्रांड कैन्यन से लगभग दोगुनी है।
- यह ब्राजील-माल्विनास संगम से प्रभावित क्षेत्र में स्थित है, जहाँ गर्म उष्णकटिबंधीय जल ठंडे अंटार्कटिक जल से मिलता है।
- यह संगम पोषक तत्वों से भरपूर अपवेलिंग बनाता है, जिससे यह घाटी एक जैव विविधता हॉटस्पॉट बन जाती है जो प्रवाल संरचनाओं, अकशेरुकी और मछली समुदायों का पोषण करती है।
- यह क्षेत्र एक प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है जहाँ यह अध्ययन किया जाता है कि समुद्री प्रजातियाँ बदलते तापमान, पोषक तत्वों के प्रवाह और मानवीय दबावों के अनुकूल कैसे ढलती हैं।

पनडुब्बी घाटी(Submarine Canyon) क्या है?

- पनडुब्बी घाटी एक गहरी, खड़ी-किनारे वाली घाटी है जो महाद्वीपीय ढलान या महाद्वीपीय उभार के समुद्र तल में बनी होती है, जो अक्सर नदी के मुहाने से गहरे समुद्र तक फैली होती है।
- ये घाटियाँ पानी के भीतर की धाराओं (टर्बिडिटी करेंट्स), तलछट के प्रवाह, और विवर्तनिक गतिविधि के कारण हुए कटाव से बनती हैं।
- ये निम्नलिखित रूप से महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाती हैं:
 - तलछट और पोषक तत्वों को गहरे समुद्र तक पहुँचाना।
 - परिवर्तनशील प्रकाश, तापमान और दबाव की स्थितियों के कारण समुद्री जीवों के लिए विविध आवासों का निर्माण करना।
 - कार्बनिक पदार्थों के लिए मार्ग के रूप में कार्य करना, अद्वितीय गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करना।

स्रोत: [TOI](#)

प्रतिभूति लेनदेन कर (Securities Transaction Tax-STT)

संदर्भ

भारत का सर्वोच्च न्यायालय प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की जांच करने के लिए सहमत हो गया है।

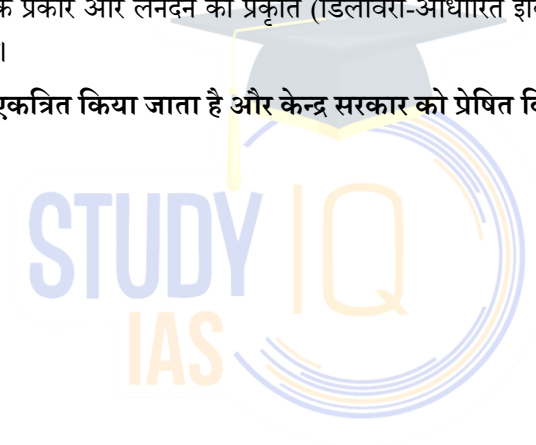
प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) क्या है?

- प्रस्तुत: वित्त अधिनियम, 2004 के तहत 2004 में।
- किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रतिभूतियों (जैसे शेयर, डेरिवेटिव और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड) में लेनदेन पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर।
- उद्देश्य:
 - पूंजी बाजार लेनदेन में कर चोरी पर अंकुश लगाना।
 - स्रोत (स्टॉक एक्सचेंज द्वारा एकत्रित) पर कर संग्रहण में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करना।

STT कैसे काम करता है -

- यह लेनदेन के समय प्रतिभूतियों के क्रेता और विक्रेता दोनों पर लगाया जाता है।
- STT की दर प्रतिभूति के प्रकार और लेनदेन की प्रकृति (डिलीवरी-आधारित इक्विटी, इंद्राडे, वायदा या विकल्प) के आधार पर भिन्न होती है।
- स्टॉक एक्सचेंज द्वारा एकत्रित किया जाता है और केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जाता है।

स्रोत: [बिजनेस लाइन](#)



नामचिक नामफुक कोयला ब्लॉक

संदर्भ

अरुणाचल प्रदेश ने चांगलांग जिले के नामचिक-नामफुक कोयला ब्लॉक में अपनी पहली वाणिज्यिक कोयला खदान शुरू की।

नामचिक-नामफुक कोयला ब्लॉक के बारे में -

- अवस्थिति: दक्षिण-पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में, ऊपरी असम कोयला बेल्ट क्षेत्र में स्थित है।
- भंडार: इसमें लगभग 1.5 करोड़ टन कोयला है, जो दीर्घकालिक उत्पादन क्षमता को समर्थन देता है।
- प्रमुख विशेषताएँ:
 - राज्य के लिए ₹100 करोड़ वार्षिक राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है।
 - स्थानीय रोजगार सृजन होगा और अवैध खनन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
 - मिशन ग्रीन कोल रीजन के तहत पर्यावरण-अनुकूल निष्कर्षण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें भूमि सुधार और वनीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
 - पूर्वोत्तर में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए पीएम-ईस्ट विज़न (सशक्तीकरण, कार्य, सुदृढ़ीकरण, परिवर्तन) के साथ संरेखित।

भारत में वाणिज्यिक कोयला खनन के बारे में -

- कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत अवधारणा शुरू की गई।
- प्रतिस्पर्धा और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत सुधारों के हिस्से के रूप में 2020 में इसे लागू किया गया।
- द्वारा शासित:
 - खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957,
 - कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015, और
 - खनन कार्यों पर लागू पर्यावरण और भूमि कानून।
 - पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नीलामी प्रक्रिया की निगरानी कोयला मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

स्रोत: [पीआईबी](#)

मुख्य परीक्षा

भारत में जैविक खेती (Organic Farming in India)

संदर्भ

रसायन-मुक्त, सतत कृषि को बढ़ावा देने और इनपुट-प्रधान कृषि से होने वाले पारिस्थितिक असंतुलन को कम करने के लिए, केंद्र सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के अंतर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) की शुरुआत की। तब से यह जैविक खेती को मुख्यधारा में लाने और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने का एक प्रमुख कार्यक्रम बन गया है।

जैविक खेती की वर्तमान स्थिति -

वैश्विक परिदृश्य

- FiBL-IFOAM 2023 रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में लगभग 76 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती की जाती है।
- क्षेत्रफल के अनुसार शीर्ष देश: ऑस्ट्रेलिया (35.7 मिलियन हेक्टेयर), अर्जेंटीना (4.4 मिलियन हेक्टेयर) और भारत (2.9 मिलियन हेक्टेयर)।
- वैश्विक जैविक बाजार: 135 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का, जिसका नेतृत्व अमेरिका और यूरोपीय संघ कर रहे हैं।

भारत का परिदृश्य

- क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 5वां है तथा विश्व स्तर पर जैविक उत्पादकों की संख्या की दृष्टि से भारत का स्थान प्रथम है।
- 2025 तक, लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत है, जिसमें 25.3 लाख किसान (PKVY के अंतर्गत) शामिल हैं।
- प्रमाणित क्षेत्र में सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्य अग्रणी हैं।
- सिक्किम 2016 में विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बन गया।
- भारत का जैविक निर्यात (2023-24): ₹8,000 करोड़ मूल्य का, प्रमुख उत्पाद तिलहन, अनाज, दालें, चाय, मसाले और कपास हैं।

जैविक खेती (Organic Farming) के बारे में -

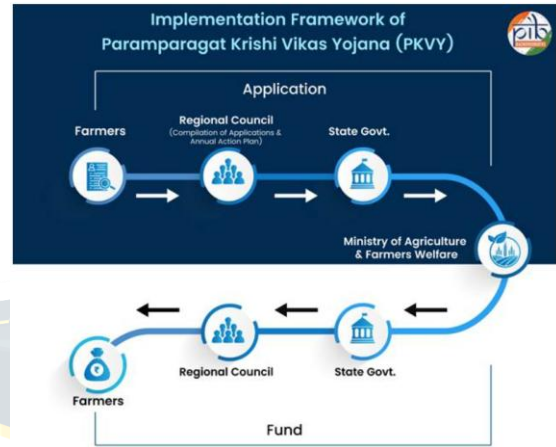
परिभाषा

- FAO के अनुसार, "जैविक खेती एक समग्र उत्पादन प्रबंधन प्रणाली है जो जैव विविधता, जैविक चक्रों और मृदा जैविक गतिविधि सहित कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है और बढ़ाती है।"
- यह कृत्रिम उर्वरकों, कीटनाशकों, जीएमओ और वृद्धि नियामकों से बचती है, और इसके बजाय प्राकृतिक आदानों और जैविक प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है।
- मूल सिद्धांत:
 - स्वास्थ्य: मिट्टी, पौधों, पशुओं और मनुष्यों के स्वास्थ्य को बनाए रखना और बढ़ाना।
 - पारिस्थितिकी: प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों पर हावी होने के बजाय उनके साथ काम करना।
 - निष्पक्षता: उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच न्यायसंगत संबंध बनाना।
 - देखभाल: भावी पीढ़ियों के लिए कृषि का जिम्मेदारीपूर्वक प्रबंधन करना।
- जैविक खेती के प्रकार:

- शुद्ध जैविक खेती: इसमें कृत्रिम सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता; केवल जैव-उर्वरक, हरी खाद, कम्पोस्ट और प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधियों का उपयोग किया जाता है।
- एकीकृत जैविक खेती: फसलों, पशुधन, जलीय कृषि और कृषि वानिकी को एक स्थायी पोषक चक्र में संयोजित करती है।
- प्राकृतिक खेती: न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप; प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर निर्भर (जैसे, शून्य बजट प्राकृतिक खेती, सुभाष पालेकर का मॉडल)।
- जैवगतिकी खेती(Biodynamic Farming): चंद्र चक्र और प्राकृतिक खाद तैयारियों का उपयोग करते हुए समग्र तरीकों का पालन किया जाता है।

परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) -

- पारंपरिक, रसायन मुक्त खेती को पुनर्जीवित करने और पारिस्थितिक संतुलन बहाल करने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के तहत 2015 में लॉन्च किया गया था।
- एक दशक से अधिक समय से, PKVY भारत की जैविक कृषि क्रांति की एक प्रमुख चालक बन गई है, जो स्थायित्व को बढ़ावा देने, किसानों को सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक प्रणालियों के साथ मिश्रित कर रही है।
- उद्देश्य:
 - पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए क्लस्टर आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देना।
 - रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करना।
 - मृदा स्वास्थ्य, जैव विविधता और उत्पादकता में सुधार करना।
 - जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण, ब्रांडिंग और विपणन का समर्थन करना।
 - किसान समूहों को सशक्त बनाना और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना।
- क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण: PKVY मॉडल क्लस्टर-आधारित जैविक खेती पर आधारित है
 - सामूहिक रूप से जैविक पद्धतियां अपनाने के लिए किसानों को 20 हेक्टेयर के समूहों में बांटा गया है।
 - इससे संसाधन साझाकरण, सहकर्म सीखने और समान जैविक मानकों को प्रोत्साहन मिलता है।
 - अब तक भारत ने 52,289 क्लस्टर बनाए हैं, जो लगभग 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं, जिससे छत्तीसगढ़, ओडिशा, सिक्किम, महाराष्ट्र और असम जैसे राज्यों के 25.30 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।



प्रमाणन ढांचा -

प्रमाणन PKVY की रीढ़ है, जो विश्वास और बाजार पहुंच सुनिश्चित करता है:

- तृतीय-पक्ष प्रमाणन (NPOP):
 - राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (वाणिज्य मंत्रालय) के तहत प्रबंधित।
 - निर्यात बाजारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैविक मानकों को पूरा करने में सक्षम बनाता है।
 - संपूर्ण मूल्य श्रृंखला - उत्पादन, प्रसंस्करण और व्यापार को कवर करता है।
- सहभागी गारंटी प्रणाली (PGS-India):

- कृषि मंत्रालय के अंतर्गत समुदाय-आधारित प्रमाणन।
- किसान सामूहिक रूप से जैविक पद्धतियों का सत्यापन करते हैं।
- घरेलू बाजारों पर ध्यान केंद्रित, कम लागत और समावेशी।
- **बड़े क्षेत्र का प्रमाणन (LAC) (2020-21 में शुरू):**
 - इसका लक्ष्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां रासायनिक खेती का कोई इतिहास नहीं है (आदिवासी क्षेत्र, द्वीप)।
 - प्रमाणन समय को 2-3 वर्ष से घटाकर कुछ महीनों तक कर दिया गया है।
 - दूरस्थ क्षेत्रों में निर्यात तत्परता और आय सृजन को बढ़ावा देता है।

PKVY के प्रभाव -

- जैविक प्रथाओं के प्रति जागरूकता और अपनाने में वृद्धि।
- मृदा स्वास्थ्य में सुधार हुआ तथा रासायनिक संदूषण में कमी आई।
- प्रमाणन और ब्रांडिंग के माध्यम से बाजार तक पहुंच में वृद्धि।
- कम इनपुट लागत और जैविक प्रीमियम के माध्यम से आय में वृद्धि।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल रोजगार के अवसर सृजित किये गए।

सीमाएँ

- सीमित बाजार प्रवेश और ब्रांडिंग समर्थन।
- छोटे किसानों के लिए प्रमाणन में देरी और उच्च लागत।
- कटाई के बाद और शीत श्रृंखला संबंधी अपर्याप्त बुनियादी ढांचा।
- संक्रमण काल में कम उत्पादकता।
- घरेलू बाजारों में उपभोक्ता जागरूकता कमजोर।

जैविक खेती के लिए अन्य सरकारी पहल -

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (MOVCDNER) - जैविक क्लस्टरों, मूल्य संवर्धन और निर्यात बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करता है।
- राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (NMNF) - प्राकृतिक और पुनर्योजी कृषि मॉडल को प्रोत्साहित करता है।
- भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) - गाय के गोबर, जीवामृत और मल्लिचंग जैसे पारंपरिक आदानों को बढ़ावा देने वाली PKVY की एक उप-योजना।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) - जैविक मूल्य श्रृंखला विकास के लिए सहायता प्रदान करती है।
- राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र (NCOF) - जैविक इनपुट उत्पादन और प्रशिक्षण का समन्वय करता है।
- जैविक ई-बाजार: जैविक खेती पोर्टल - जैविक किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म।

भारत में जैविक खेती की चुनौतियाँ -

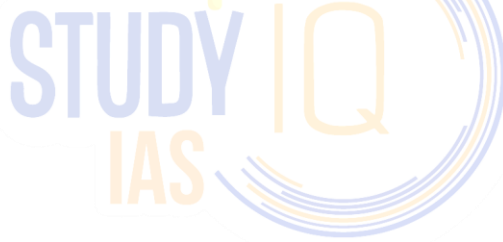
- **कम उत्पादकता:** संक्रमण काल के दौरान जैविक उपज अक्सर 15-25% कम होती है।
- **बाजार अवसरचना का अभाव:** समर्पित जैविक बाजारों और खरीद एजेंसियों का अभाव।
- **प्रमाणन जटिलता:** छोटे किसानों के लिए समय लेने वाली और महंगी प्रक्रिया।
- **सीमित जागरूकता:** किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को जैविक मानकों के बारे में जानकारी का अभाव है।
- **इनपुट बाधाएं:** जैव-उर्वरकों, कम्पोस्ट और जैविक बीजों की कमी।
- **मूल्य प्रीमियम अनिश्चितता:** असंगत बाजार मांग लाभप्रदता को प्रभावित करती है।

- **रसद और शीत श्रृंखला अंतराल:** खराब भंडारण और परिवहन से शेल्फ जीवन कम हो जाता है।
- **नीति विखंडन:** योजनाओं के बीच ओवरलैप और राज्य समन्वय की कमी।
- **अनुसंधान की कमी:** जैविक कीट प्रबंधन और क्षेत्र-विशिष्ट फसल प्रणालियों पर सीमित अनुसंधान एवं विकास।
- **निर्यात संबंधी बाधाएं:** जटिल निर्यात प्रमाणन और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रांडिंग का अभाव।

आगे की राह -

- **एकीकृत नीति ढांचा:** PKVY, NMNF, MOVCDNER और राज्य मिशनों को एक समन्वित नीति के तहत संरेखित करना।
- **बाजार विकास:** प्रमाणित जैविक उत्पादों के लिए जैविक मंडियां, ब्रांडिंग केंद्र और एमएसपी जैसी व्यवस्थाएं स्थापित करना।
- **डिजिटल प्रमाणन:** ब्लॉकचेन और डिजिटल ट्रेसिबिलिटी का उपयोग करके पीजीएस और एनपीओपी प्रणालियों को सरल बनाना।
- **अनुसंधान एवं विकास निवेश:** जैव-इनपुट, कीट नियंत्रण और उत्पादकता वृद्धि पर अनुसंधान के लिए आईसीएआर और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को मजबूत करना।
- **सार्वजनिक खरीद:** मध्याह्न भोजन, अस्पतालों और सार्वजनिक संस्थानों में जैविक खाद्य को शामिल करना।
- **क्षमता निर्माण:** मूल्य संवर्धन और ई-कॉमर्स में एफपीओ, एसएचजी और स्थानीय उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण का विस्तार करना।
- **उपभोक्ता जागरूकता:** राष्ट्रीय जैविक ब्रांडिंग और जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देना।

स्रोत: [पीआईबी](#)



भारत में न्यायिक दक्षता

संदर्भ

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के एक सदस्य द्वारा हाल ही में दिए गए बयान में भारत की न्यायपालिका को “विकसित भारत” के लक्ष्य को हासिल करने में “सबसे बड़ी बाधा” बताया गया है। इस टिप्पणी ने भारत के विकास में न्यायपालिका की दक्षता और उसकी भूमिका पर बहस को फिर से छेड़ कर दिया है।

न्यायिक दक्षता: वास्तविकता की जाँच -

भारत की न्यायिक प्रणाली दुनिया में सबसे अधिक बोझ से दबी हुई है। इसके अतिरिक्त, न्यायाधीशों को जनशक्ति, बुनियादी ढाँचे और प्रशासनिक सहायता की भारी कमी के बीच काम करना पड़ता है।

- **लंबित मामलों का स्तर:**
 - भारत की सभी अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं (2025 तक)।
 - इनमें से लगभग 90% मामले जिला और अधीनस्थ अदालतों में केंद्रित हैं।
 - न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात प्रति दस लाख पर केवल 21 है, जबकि विकसित देशों में यह 50+ है।
- **उच्च केसलोड और सीमित क्षमता:**
 - प्रत्येक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश औसतन प्रतिदिन 50-100 मामलों की सुनवाई करता है।
 - न्यायाधीश सुनवाई की तैयारी करते हैं, संक्षिप्त विवरण का अध्ययन करते हैं, तथा अदालती समय के बाद भी निर्णय का मसौदा तैयार करते हैं।
 - इसके बावजूद, वे अत्यंत अल्प-संसाधन वाले वातावरण में कार्य करते हैं - अपर्याप्त कर्मचारी, कमजोर प्रौद्योगिकी, तथा प्रशासनिक अक्षमताएं।
- **छुट्टियाँ और गलत धारणाएँ:** न्यायिक छुट्टियों को अक्सर अवकाश समझ लिया जाता है।
 - वास्तव में, न्यायाधीश इन अवधियों का उपयोग लंबित निर्णय लिखने और आरक्षित मामलों का निपटारा करने के लिए करते हैं।
 - सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की अवकाश पीठें अत्यावश्यक मामलों के लिए सक्रिय रहती हैं।
- **वित्तीय और संरचनात्मक बाधाएँ:**
 - न्यायपालिका को बजट आवंटन के रूप में सकल घरेलू उत्पाद का 0.1% से भी कम प्राप्त होता है।
 - न्यायालय का बुनियादी ढांचा, विशेष रूप से निचली न्यायपालिका में, पुराना हो चुका है, तथा इसमें बुनियादी डिजिटल और भौतिक सुविधाओं का अभाव है।

इस प्रकार, हालांकि देरी तो होती है, लेकिन उसे अकुशलता या तत्परता की कमी के बराबर मानना गलत है - समस्या संस्थागत डिजाइन में है, न्यायिक मंशा में नहीं।

देरी के मूल कारण -

भारत में न्यायिक विलंब बहुस्तरीय कारणों से उत्पन्न होता है - कानूनी, प्रशासनिक और व्यवहारिक - जिनमें से कई न्यायपालिका के नियंत्रण से परे हैं।

- **भारी न्यायिक रक्तियाँ:**
 - विभिन्न स्तरों पर 5,000 से अधिक न्यायिक पद रिक्त हैं, जिसके कारण लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है।
 - कार्यपालिका और कॉलेजियम के बीच टकराव के कारण नियुक्ति प्रक्रिया में अक्सर देरी होती है।
- **खराब विधायी प्रारूपण:** कई कानून अस्पष्ट, अतिव्यापी या खराब शब्दों में लिखे गए हैं, जिसके कारण अक्सर मुकदमेबाजी होती है।

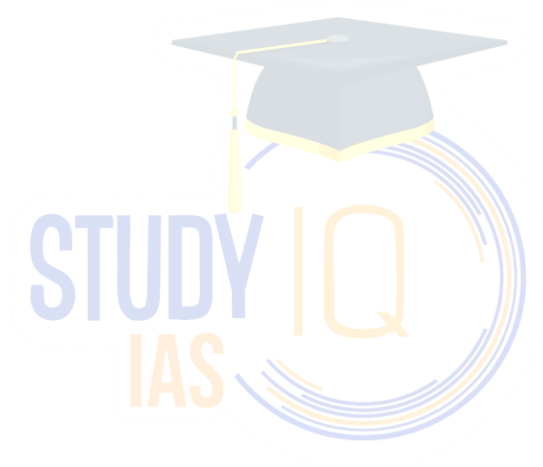
- उदाहरण: नए आयकर विधेयक में "बावजूद" शब्द के स्थान पर "किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना" शब्द रखा गया है, यह एक भाषाई परिवर्तन है जिसका उद्देश्य मसौदा तैयार करना सरल बनाना है, लेकिन इससे नए भ्रम और मुकदमेबाजी की संभावना है।
- सरकार सबसे बड़ी वादी:
 - सभी लंबित मामलों में से 50% मामले केन्द्र और राज्य सरकारों के पास हैं।
 - मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निपटाए गए मामलों पर भी, बार-बार अपील दायर करते हैं।
 - पेंशनभोगियों, शिक्षकों और लोक सेवकों को मूल बकाया के लिए मुकदमा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- पुरानी प्रक्रियाएं:
 - सिविल और आपराधिक प्रक्रिया संहिताएं धीमी, बोझिल और कागजी कार्रवाई से भरी होती हैं।
 - बार-बार स्थगन और केस प्रबंधन प्रणालियों की कमी से लंबित मामलों की संख्या बढ़ जाती है।
- बुनियादी ढांचे की कमी:
 - अपर्याप्त न्यायालय स्थान, स्टाफ की कमी, तथा ई-न्यायालय तक सीमित पहुंच, त्वरित न्याय में बाधा डालती है।
 - केवल कुछ ही न्यायालयों में डिजिटल फाइलिंग, वीडियो सुनवाई या स्वचालित ट्रेकिंग की व्यवस्था है।
- सामाजिक-आर्थिक और प्रशासनिक कारक:
 - पुलिस जांच में अक्सर देरी होती है या जांच खराब तरीके से की जाती है, जिससे मामले कमजोर हो जाते हैं।
 - मुकदमेबाजी की उच्च लागत समझौतों में बाधा डालती है और विवादों को लम्बा खींचती है।

आगे की राह -

- संरचनात्मक सुधार:
 - न्यायालय सुविधाओं के आधुनिकीकरण और डिजिटल प्रणालियों के मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (NJIA) की स्थापना करना।
 - कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय के माध्यम से एक निश्चित समय सीमा के भीतर सभी न्यायिक रिक्तियों को भरना।
- सरकारी मुकदमेबाजी में कमी:
 - नियमित अपीलों को हतोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय मुकदमा नीति लागू करना।
 - सरकारी विवादों के लिए मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता को अनिवार्य बनाना।
- निचली न्यायपालिका को मजबूत करना:
 - अधीनस्थ न्यायालयों के लिए वेतन, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता में सुधार करना।
 - लक्षित विवाद समाधान के लिए ग्राम न्यायालयों, फास्ट-ट्रैक न्यायालयों और पारिवारिक न्यायालयों का विस्तार करना।
- प्रक्रिया एवं प्रक्रियागत सुधार:
 - केस प्रबंधन प्रणाली और समयबद्ध सुनवाई शुरू करना।
 - छोटे मामलों के लिए संक्षिप्त सुनवाई को प्रोत्साहित करना।
 - वीडियो सुनवाई और ई-फाइलिंग का विस्तार करना।
- विधायी स्पष्टता और गुणवत्ता:
 - स्पष्टता और प्रवर्तनीयता के लिए कानूनों की पूर्व-विधायी जांच करना।

- दिखावटी कानूनी सुधारों से बचना जो केवल पुराने कानूनों का नाम बदल देते हैं या उन्हें नया स्वरूप प्रदान करते हैं।
- **न्यायिक जवाबदेही और क्षमता निर्माण:**
 - स्वतंत्रता बनाए रखते हुए न्यायिक निष्पादन लेखापरीक्षा को संस्थागत बनाना।
 - सतत व्यावसायिक विकास के लिए न्यायिक अकादमियों को मजबूत बनाना।

स्रोत: [द हिंदू](#)



भारत में ऊर्जा भंडारण को प्राथमिकता देने का समय

संदर्भ

भारत का नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव गति पकड़ रहा है, लेकिन अनिरंतरता और पीक डिमांड (उच्चतम मांग) का प्रबंधन अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। आंध्र प्रदेश में हाल के घटनाक्रमों और पावर स्विपिंग पर बहस ने भारत की स्वच्छ ऊर्जा रणनीति के लिए ऊर्जा बैंकिंग और भंडारण पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है।

पावर स्विपिंग को समझना -

- पावर स्विपिंग से तात्पर्य दो राज्यों या उपयोगिताओं के बीच आपूर्ति और मांग में उतार-चढ़ाव को प्रबंधित करने के लिए विद्युत के आदान-प्रदान के समझौते से है।
 - किसी विशेष मौसम या दिन के समय में अधिशेष विद्युत वाला राज्य, कमी का सामना कर रहे किसी अन्य राज्य को विद्युत की आपूर्ति करता है।
 - बाद में, जब पहले राज्य में मांग अधिक हो जाती है तो प्रक्रिया उलट दी जाती है।
 - यह तंत्र उच्च लागत वाली अल्पकालिक खरीद पर बचत करने और आपूर्ति स्थिरता सुनिश्चित करने की अनुमति देता है।
- **लाभ:**
 - इससे राज्यों को हाजिर बाजारों से महंगी विद्युत खरीदने से बचने में मदद मिलती है।
 - निष्क्रिय विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग में सुधार करता है।
 - मांग और आपूर्ति के बीच अल्पकालिक संतुलन संभव बनाता है।
- **सीमाएँ:**
 - **ट्रांसमिशन लागत और हानि:** अंतर-राज्यीय विद्युत हस्तांतरण में ट्रांसमिशन शुल्क और ऊर्जा हानि होती है, जिससे लागत दक्षता कम हो जाती है।
 - **अल्पकालिक समाधान:** यह अस्थायी आपूर्ति अंतराल को संबोधित करता है, लेकिन दीर्घकालिक ग्रिड स्थिरता या नवीकरणीय अंतराल को हल नहीं करता है।
 - **अन्य राज्यों पर निर्भरता:** अदला-बदली दूसरे राज्य की अधिशेष उपलब्धता पर निर्भर करती है, जो हमेशा मेल नहीं खाती।
 - **नवीकरणीय भंडारण के लिए कोई समर्थन नहीं:** यह अधिशेष सौर या पवन ऊर्जा की समस्या का समाधान नहीं करता है, जो ऑफ-पीक घंटों के दौरान अप्रयुक्त रह जाती है।

इस प्रकार, यद्यपि पावर स्विपिंग से राज्यों को मौसमी विद्युत उतार-चढ़ाव का प्रबंधन करने में मदद मिल सकती है, लेकिन यह भारत की स्वच्छ ऊर्जा रणनीति का आधार नहीं हो सकता।

ऊर्जा बैंकिंग: टिकाऊ विकल्प -

- **ऊर्जा बैंकिंग, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को अधिशेष विद्युत को ग्रिड में या भंडारण प्रणाली में संग्रहीत करने की अनुमति देती है, ताकि कमी की अवधि के दौरान उसे निकाला जा सके।**
- यह एक वित्तीय और परिचालन तंत्र के रूप में कार्य करता है जो:
 - नवीकरणीय उतार-चढ़ाव के विरुद्ध ग्रिड को स्थिर करता है,
 - उत्पादकों को अधिकतम मांग के दौरान विद्युत बेचकर बेहतर लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाता है, और
 - हरित ऊर्जा की बर्बादी कम होती है।
- **तंत्र:**
 - उच्च उत्पादन के दौरान (जैसे, दिन के समय सौर ऊर्जा का अधिशेष), विद्युत को ग्रिड के साथ “बैंक” कर दिया जाता है।

- फिर इसे रात में या व्यस्त समय के दौरान वापस ले लिया जाता है, जब नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कम हो जाता है।
- राज्य या डिस्कॉम्स क्षमता व्यापार मॉडल के तहत बैंक ऊर्जा का व्यापार करके इसका मुद्रीकरण कर सकते हैं।
- **प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ:**
 - बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ (BESS) - लिथियम-आयन और उभरती सोडियम-आयन बैटरियाँ।
 - पंप्ड हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज (PHES) - अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग पानी को ऊपर की ओर पंप करने के लिए किया जाता है, जिसे बाद में विद्युत उत्पादन के लिए छोड़ा जाता है।
 - थर्मल स्टोरेज प्रणालियाँ - विद्युत या औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग के लिए ऊष्मा ऊर्जा का भंडारण करती हैं।
 - संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण (CAES) - भूमिगत जलाशयों में हवा को संपीड़ित करके ऊर्जा का भंडारण करती हैं।
- **ऊर्जा भंडारण क्यों महत्वपूर्ण है:**
 - सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोत अस्थायी होते हैं - वे तब विद्युत उत्पन्न करते हैं जब सूर्य का प्रकाश या पवन उपलब्ध होता है, जरूरी नहीं कि जब मांग चरम पर हो।
 - भंडारण इस शक्ति को आवश्यकता पड़ने पर प्राप्त करने और जारी करने की अनुमति देता है।
 - भंडारण के बिना, अधिशेष नवीकरणीय ऊर्जा कम हो जाती है या बर्बाद हो जाती है, जिससे आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्य कमजोर हो जाते हैं।

भारत में ऊर्जा भंडारण की वर्तमान स्थिति -

- भारत में वर्तमान में लगभग 4.8 गीगावाट की चालू पंप जलविद्युत क्षमता है, और कई परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं (महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश)।
- बैटरी भंडारण क्षमता सीमित बनी हुई है - लगभग 400-500 मेगावाट स्थापित, अधिकांशतः पायलट परियोजनाओं में।
- सरकार की राष्ट्रीय विद्युत योजना (2023) के अनुसार 2032 तक 47 गीगावाट/236 गीगावाट घंटा बैटरी भंडारण की आवश्यकता होगी।
- गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे नवीकरणीय ऊर्जा-समृद्ध राज्यों ने सौर, पवन और भंडारण को मिलाकर हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए निविदाएँ शुरू की हैं।

ऊर्जा भंडारण और बैंकिंग में चुनौतियाँ -

- **उच्च पूंजीगत लागत:** बैटरी भंडारण लागत उच्च बनी हुई है (~ 8-10 करोड़ रुपये/MWh), जिससे बड़े पैमाने पर इसे अपनाना सीमित हो जाता है।
- **नीति और विनियामक अंतराल:** अंतर-राज्यीय ऊर्जा बैंकिंग को नियंत्रित करने वाली कोई समान राष्ट्रीय नीति नहीं है।
- **सीमित स्वदेशी विनिर्माण:** आयातित लिथियम, कोबाल्ट और निकल पर निर्भरता से लागत बढ़ती है और वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान की आशंका बढ़ जाती है।
- **तकनीकी अनिश्चितता:** बैटरी रसायन विज्ञान का तीव्र विकास डेवलपर्स के लिए निवेश जोखिम पैदा करता है।
- **डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति:** कई डिस्कॉम खराब वित्तीय स्थिति के कारण भंडारण बुनियादी ढांचे में निवेश करने में असमर्थ हैं।

- **भूमि एवं पर्यावरणीय मंजूरी:** पम्पयुक्त जलविद्युत परियोजनाओं को लंबी निर्माण अवधि और पारिस्थितिकीय चिंताओं का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह -

- **राष्ट्रीय ऊर्जा बैंकिंग नीति:** अधिशेष विद्युत का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए अंतर-राज्यीय नवीकरणीय ऊर्जा बैंकिंग और क्षमता व्यापार के लिए एक एकीकृत ढांचा स्थापित करना।
- **भंडारण परिनियोजन में तेजी लाना:** ऊर्जा भंडारण दायित्वों को नवीकरणीय खरीद दायित्वों (RPO) के साथ एकीकृत करना तथा ग्रिड-स्केल परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) प्रदान करना।
- **घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना:** पीएलआई योजनाओं का विस्तार करना और अगली पीढ़ी की बैटरी प्रौद्योगिकियों (सोडियम-आयन, फ्लो, सॉलिड-स्टेट) में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना।
- **हाइब्रिड परियोजनाओं को बढ़ावा देना:** सुव्यवस्थित अनुमोदन और टैरिफ के माध्यम से 24×7 नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सौर-पवन-भंडारण हाइब्रिड को प्रोत्साहित करना।
- **पम्प हाइड्रो क्षमता को मजबूत करना:** पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए मौजूदा जलाशयों का उपयोग करते हुए टिकाऊ पम्प हाइड्रो ऊर्जा भंडारण (PHES) परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना।
- **डिस्कॉम वित्त में सुधार:** आधुनिक भंडारण अवसंरचना में निवेश को सक्षम करने के लिए डिस्कॉम के भुगतान अनुशासन और वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ाना।

स्रोत: [द हिंदू बिज़नेस लाइन](#)

